भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3262
दिनांक 13 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

विधवा पुनर्विवाह

3262. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी   महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है, जो विधवाओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। जबकि, कुछ स्कीमो में आबादी के एक व्यापक भाग, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, पर ध्यान दिया जाता है, वहीं कुछ स्कीमें विशेषतौर पर विधवाओं के लिए भी हैं। इस संबंध में भारत सरकार की प्रमुख स्कीमें इस प्रकार हैं :

I. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम(आईजीएनडब्ल्यूपीएस) : गामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम(आईजीएनडब्ल्यूपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत विधवाओं के साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी पेंशन योजना संचालित की जाती है। 40-79 वर्ष के आयु समूह की बीपीएल विधवाओं को 300/-रुपये की मासिक केंद्रीय सहायता और 80 या अधिक उम्र की महिलाओं को 500/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

II. स्वाधार गृह स्कीम : स्वाधार गृह स्कीम का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विधवाओं सहित कठिन परिस्थितियों की पीड़ित महिलाओं को सहयोग-परक ढांचा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ताकि वे गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें।

III. विधवा आश्रय गृह : विधवाओं को रहने के एक सुरक्षित और सुनिश्चित स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 1000 संवासियों की क्षमता सहित वृंदावन, उत्तर प्रदेश में एक विधवा आश्रय गृह स्थापित किया गया है।

IV. राष्ट्रीय परिवार हित योजना(एनएफबीएस) : ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार हित योजना (एनएफबीएस) का कार्यान्वयन करता है, जिसके तहत कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में व्याकुल परिवार को 20,000/-रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

V. पूर्व-सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता : रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैर-पेंशन भोगी पूर्व-सैनिकों/विधवाओं की गंभीर बीमारियों का उपचार और बेटी की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****